न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 05/13 **निर्णय दिनांकः— 3.10.2018**

1. नवाब खॉ पुत्र शारे खॉ जाति मुसलमान निवासी राणेवाली तहसील पूगल जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 29—02—2008
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितः—

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के निर्णय व डिक्री दिनांक 29—02—2008 जिसके द्वारा अपीलांट का दावा तथ्यों व कानून के विपरीत जाकर खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट/वादीगण को बतौर भूमिहीन आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर द्वारा ग्राम करणपुरा के खसरा

नम्बर 23 में 50 बीघा भूमि दिनांक 22—09—1990 को आवंटित की गई थी। आवंटन पश्चात् अपीलांट को मौके पर विधिवत कब्जा भी प्रदान कर दिया गया था। वर्तमान में मौके पर अपीलांट की ढाणी व पानी का कुण्ड बना हुआ है तथा मौके पर अपीलांट की फसल काश्त है। अपीलांट को आवंटित उक्त भूमि चक प्लान आने पर चक 6 डीडी के मुरब्बा नम्बर 127/47 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17 में 8 बीघा, मुरब्बा नम्बर 129/46क किला नम्बर 3 ता 6, 15 16, 25 में 7 बीघा, मुरब्बा नम्बर 129/54 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 129/62 के किला नम्बर 1 ता 10 में 10 बीघा इस प्रकार कुल 50 बीघा भूमि पैमूद हुई। जिस पर अपीलांट निरन्तर काबिज है।

उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती का वाद पेश किया गया। जिस पर अदालत मातहत द्वारा बिना किसी प्रकार की सुनवाई के मात्र सरसरी तौर पर आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल कारित की है।

उन्होनें आगे बताया कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि वादपत्र पर जवाब दावा लेकर, तनकीयात् कायम कर, साक्ष्य व स बूत का अवसर प्रदान करते हुए विधिवत निर्णय पारित किया जाना चाहिए। परन्तु अदालत मातहत द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया को अपनाये ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। यदि अपीलांट को सुनवाई व सबूत का उचित अवसर प्रदान किया जाता तो अपीलांट तमाम सबूत, साक्ष्य, कब्जा काश्त के साक्ष्य, पड़ौसियों के बयान व तनकीयात् सिद्व करता मगर अदालत मातहत द्वारा ऐसी किसी प्रकार का कोई अवसर अपीलांट को प्रदान किये बिना आदेश पारित करने में कानूनी भूल कारित की है।

उन्होनें आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा मात्र कयास के आधार पर अपीलांटका दावा मात्र सरसरी तौर पर खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। जबकि वादगत् भूमि पर आज दिनांक को भी अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट पटवारी आदि मौके की वास्तविक स्थिति के बारे में प्राप्त नहीं की गई है। ऐसी

स्थिति में अदालत मातहत का आदेश एक अपूर्ण आदेश की परिभाषा में आता है। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट को वादगत् भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट को आदेश जैर अपील की प्रथम जानकारी दिनांक 05—12—2012 को प्राप्त हुई जब वह अपने अधिवक्ता के पास प्रकरण की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त करने गया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय में नियुक्त अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में देखकर बताया कि आपका वाद तो दिनांक 29—02—2008 को खारिज कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को आदेश जैर अपील की प्रथम जानकारी दिनांक 05—12—2012 को प्राप्त होने पर दिनांक 12—12—2012 को बाद तैयारी नकल अपील बिना विलम्ब के प्रस्तुत की जा रही है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में विलम्ब को माफ करते हुए अपील मियांद अन्दर शुमार किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि के बाबत् अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज होने के आधार पर यह पाया गया कि अपीलांट/वादीगण उक्त भूमि को बहाल कराने के अधिकारी नहीं है। अदालत मातहत द्वारा राजस्व रिकार्ड व कब्जे काश्त के आधार पर नियमानुसार वाद का विस्तृत विवेचन करते हुए अपीलांट/वादीगण का वाद खारिज किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 29—02—2008 के विरूद्व अपील 22—01—2013 को प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद

अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट/वादीगण द्वारा दावा धोषणात्मक रिकार्ड दुरूस्ती व प्राप्त करने चिर अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् ग्राम करणपुरा के खसरा नम्बर 23 में 50 बीघा भूमि बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/वादीगण का वाद खारिज किये जाने के फलस्वरूप उक्त अपील अपीलांट् द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि बतौर भूमिहीन ग्राम करणपुरा के खसरा नम्बर 23 में 50 बीघा भूमि पुख्ता आवंटित की गई थी तथा आवंटन पश्चात् अपीलांट को मौके पर विधिवत कब्जा भी प्रदान कर दिया गया था। वर्तमान में मौके पर अपीलांट की ढाणी व पानी का कुण्ड बना हुआ है तथा मौके पर अपीलांट की फसल काश्त है। अपीलांट को आवंटित उक्त भूमि चक प्लान आने पर चक चक 6 डीडी के मुरब्बा नम्बर 127/47 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17 में 8 बीघा, मुरब्बा नम्बर 129/46 के किला नम्बर 3 ता 6, 15 16, 25 में 7 बीघा, मुरब्बा नम्बर 129/54 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 129/62 के किला नम्बर 1 ता 10 में 10 बीघा इस प्रकार कुल 50 बीघा भूमि पैमूद हुई। जिसकी धोषणा करवाने का अपीलांट/वादीगण कानूनन अधिकारी है।

(3) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों व निर्णय का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि उसे वर्ष 1990 में आवंटितशुदा भूमि है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा वादपत्र के साथ आवंटन आदेश की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है किसी प्रकार की प्रमाणित अथवा मूल प्रति अदालत मातहत अथव न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि सही रूप में अपीलांट को आवंटित भूमि है अथवा नहीं?

(4) इसी क्रम में अपीलांट द्वारा अभिलिखित किया गया है कि वादगत् भूमि ग्राम करणपुरा के खसरा नम्बर 23 में 50 बीघा भूमि पुख्ता आवंटित की गई थी। अपीलांट को आवंटित उक्त भूमि चक प्लान आने पर चक चक 6 डीडी के मुरब्बा नम्बर 127/47 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17 में 8 बीघा, मुरब्बा नम्बर 129/46 के किला नम्बर 3 ता 6, 15 16, 25 में 7 बीघा, मुरब्बा नम्बर 129/54 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 129/62 के किला नम्बर 1 ता 10 में 10 बीघा इस प्रकार कुल 50 बीघा भूमि पैमूद हुई।

इस संबंध में अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में वादगत् भूमि के बाबत् सूची नम्बर चार प्रस्तुत ना तो अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत की गई ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि चकबन्दी आने पर चक 6 डीडी में परिवर्तित हुई हो। केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट को किसी प्रकार की राहत प्रदान नहीं की जा सकती है ना ही अपीलांट के कथनों को किसी प्रकार का कोई बल प्राप्त होता है।

(5) प्रस्तुत मामलें में अपीलांट का कथन है कि वादगत् भूमि पर आज दिनांक को भी कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपने कब्जे काश्त के संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे प्रथम दृष्टया यह साबित होता हो कि वादगत् भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। इसी प्रकार अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् किसी प्रकार की कोई राशि खजानाराज में जमा करवाई गई हो।

ऐसी स्थिति में चूंकि अपीलांट दस्तावेजी रिकार्ड के आधार पर वादगत् भूमि पर अपने अधिकारों को साबित करने में असफल रहा है। लिहाजा उक्त भूमि पर अपीलांट के हक व हकूक साबित नहीं होते है। अतः अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप करना उचित/न्यायसंगत नहीं पाते है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29—02—2008 उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 03.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर